भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2229

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातक राज्यों को परिवहन राजसहायता

2229 श्री दिनेश लाल यादव "निरहुआ":

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यातक राज्यों को परिवहन राजसहायता प्रदान करके कृषि निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किया है अथवा करने का विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात एजेंसियों को प्रदान की जा रही अन्य राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) सरकार कृषि निर्यात के लिए राज्यों को कोई परिवहन सब्सिडी प्रदान नहीं करती है। तथापि, सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की "ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम के अंतर्गत पात्र फसलों के घरेलू परिवहन के लिए पात्र लागत का 50% सब्सिडी प्रदान करती है। निर्यात के मामले में, परिवहन शुल्क के लिए सब्सिडी केवल भारतीय सीमाओं तक देय है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना भी आरंभ की है जिससे कि उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार करने में सहायता मिल सके। कृषि उड़ान योजना 2.0 मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों से आशुविकारी खाद्य उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित है। हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने चयनित कृषि उड़ान हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहकों और पी2सी (यात्री-से-कार्गो) विमानों के लिए लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि की छूट की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) "एपीडा की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना" नामक अपनी स्कीम के अंतर्गत निर्यात अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास जैसे घटकों के तहत कृषि उत्पादों के अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन में शामिल निर्यात संवर्धन परिषदें और अन्य एजेंसियां वाणिज्य विभाग की अन्य योजनाओं जैसे निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के तहत भी सहायता की हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, स्कीम के दिशानिदेशानुसार कृषि उत्पादों सहित, निर्यातक निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट के हकदार हैं।

*****